कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552–294199 ई–मेल *dlsa16hanumangarh@gmail.com*

क्रमांक :– जिविसेप्रा / मो.वाहन / 2025 / 1167 – 1172 दिनांक :– 17/02/2025

खुली निविदा आमंत्रण सूचना सं. 06 / 2024–25

राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप–2) विभाग, की प्रासंगिक आज्ञा दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 332500085 दिनांक 22.01.2025 व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.7( ) / रालसा / संस्था–संविदा सेवा / 2025 / 26419–449 दिनांक 04.02.2025 एवं किराया वाहन वित्त (जी.एण्ड.टी. / एसपीएफसी) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018, 31.03.2021 एवं 05.04.2022 के पूर्ण प्रावधानों की पालना में इस कार्यालय में पदस्थापित सचिव को सम्पूर्ण जिले के क्षेत्राधिकार के लिये **समयावधि दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक,** वाहन किराये पर लेने हेतु अधिकृत वाहन मालिकों / फर्मो / एजेन्सियों से दरें आंमत्रित की जाती है। कोटेशन प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त / देखे जा सकते है। कोटेशन हेतु निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर सलंग्न शर्तों सहित **दिनांक 27.02.2025 को प्रातः 10:30 बजे तक** इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। प्राप्त कोटेशन को उसी दिन दोपहर 12:00 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी कोटेशन को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार इस हेतु गठित उपापन समिति को होगा।

17.2.25

अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

क्रमांक :–जिविसेप्रा / मो.वाहन / 2025 / 1167 –1172 दिनांक :– 17/02/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
3. लेखा शाखा, को SPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. सूचना बोर्ड, कार्यालय जिविसेप्रा, हनुमानगढ़ / जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़
5. सिस्टम ऑफिसर, हनुमानगढ़ (जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

17.2.25

अध्यक्ष
लोक उपापन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल *dlsa16hanumangarh@gmail.com*

दर प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि : दिनांक : 27.02.2025 समय 10:30 ए.एम. तक
दर प्रस्ताव खोलने की तिथि : दिनांक : 27.02.2025 समय 12:00 पी.एम.

कार्य का नाम : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ हेतु किराये के वाहन की व्यवस्था।

1. दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम व पता ....
....
....
....

2. दूरभाष नम्बर ....

(दरदाता द्वारा भरा जावे)

क्र.सं.	निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/दस्तावेज की छाया प्रति आवश्यक रूप से सलंग्न करें।	
1.	वाहन के मालिक का पैनकार्ड	
2.	वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	वाहन चालक का लाईसेन्स	
4.	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र व प्रदुषण जांच का प्रमाण पत्र	
5.	वाहन की बीमा का प्रमाण पत्र (वाहन चालक व सवारी सहित)	
6.	टेक्सी परमिट	
7.	टैक्स जमा होने का प्रमाण पत्र	

क्र. सं.	वाहन मालिक का नाम	पता	उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन निर्माण वर्ष

दरदाता के हस्ताक्षर

किराये की मासिक दरें

दर का आधार	दर (रूपये में)
अधिकतम 2000 किलोमीटर संचालन हेतु	अंको में .... शब्दों में ....

सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां सलंग्न कर दी गई है।

नोट :-

1. मैं/हमने उक्त दर प्रस्ताव की शर्तो व नियमों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों व नियमों को स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं।
2. मैं/हम उपरोक्त कार्य के लिये हमारी फर्म द्वारा दी गई दर (सभी करों एवं खर्चो सहित) पर कार्य करने को सहमत हूँ।

दरदाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल *dlsa16hanumangarh@gmail.com*

दर प्रस्ताव के लिये नियम व शर्तें

1. दर प्रस्ताव स्पष्ट व सुपाठ्य होने चाहिये, परिवर्तन व कांटछांट की स्थिति में पुनः स्पष्ट लिख कर हस्ताक्षर करें।
2. दरदाता फर्म के लिफाफे पर ''सचिव के लिये किराये के वाहन की व्यवस्था" अंकित करें।
3. दरदाता द्वारा समस्त विवरण/डॉक्यूमेन्ट को भली भांति जांच कर सलंग्न किया जावे।
4. किसी भी त्रुटिपूर्ण दरप्रस्ताव को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
5. फर्म, वाहन मालिक, ट्रेवल एजेन्सी के पास स्वयं के नाम का टैक्सी परमिट पंजीकृत वाहन के उपयोग हेतु उपलब्ध होना आवश्यक होगा। दर प्रस्ताव के समय प्रस्तुत किये गये वाहन संख्या तथा मॉडल ही किराये हेतु उपलब्ध करवाना होगा।
6. वाहन से संबंधित पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र/प्रदूषण प्रमाण पत्र/बीमा वाहन मालिक के नाम से होना चाहिये तथा वाहन सवारी व सामान सहित पूर्ण जोखिम का बीमाशुदा व रोड़ टैक्स का पूर्ण भुगतान किया हुआ होना चाहिये।
7. वाहन पर किसी भी प्रकार के ऋण लंबित होने की दशा में ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने की मासिक किस्तों की जानकारी माहवार कार्यालय को दी जावे।
8. वाहन किराये का भुगतान वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र दिनांक 03.10.2023, 05.04.2022, 31.03.2021, 28.02.2019, 19.07.2017 एवं 04.09.2013 तथा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा एवं दरों के अधीन किया जायेगा।
9. दर प्रस्ताव की दरें समयावधि दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक होगी तथा दोनों पक्षों की सहमति से अवधि बढाई जा सकेगी।
10. वाहन से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे यथा पीओएल, वाहन चालक का मानदेय, वाहन की मरम्मत आदि समस्त व्यय दरदाता को वहन करना होगा। इस कार्यालय द्वारा वाहन किराये हेतु अनुमोदित दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. टोल टैक्स का भुगतान प्रथमतः दरदाता द्वारा किया जायेगा, जिसका पुनर्भरण रसीद प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
12. अनुबन्ध की अवधि के दौरान वाहन में होने वाली किसी प्रकार की क्षति/चालान/दुर्घटना के लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. दरदाता द्वारा वाहन में आवश्यक समस्त मरम्मत कार्य तुरन्त करवाने होगें। वाहन के मरम्मत व रख रखा व संबंधी कार्य इस कार्यालय में अवकाश के दिवस को ही करवाने होगें। निविदा दाता द्वारा किसी कार्य दिवस को मरम्मत करवाये जाने पर अन्य वाहन उपलब्ध करवाना होगा। अन्य वाहन उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में बाजार से किराये पर वाहन लेकर काम लिया जायेगा, जिसकी कटौती दरदाता के बिल से की जायेगी।
14. सफल दरदाता इस कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म को सबलेट नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने की स्थिति में परफोरमेन्श सिक्योरिटी की राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. दरदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन चालक का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव तथा वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिये।
16. उपलब्ध करवाया गया वाहन छह वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा वाहन अच्छी कंडीशन में होना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल *dlsa16hanumangarh@gmail.com*

17. दरदाता को किराये के वाहन की नियमित रूप से साफ सफाई करवानी होगी।
18. दरदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन की लॉगबुक संधारित करनी होगी तथा लॉगबुक का सत्यापन प्रभारी अधिकारी से करवाना होगा।
19. वाहन किराये का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। निविदादाता को मासिक बिल मय लॉगबुक की प्रमाणित प्रति दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी तथा नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।
20. किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर इस कार्यालय के निर्देशानुसार फ्लेक्स/पेन्टड स्लोगन प्रदर्शित अनिवार्य होगा तथा वाहन पर 'राजकीय अनुबन्ध पर' होने की प्लेट लगवानी होगी।
21. दरदाता द्वारा वाहन कार्यालय समय में उपलब्ध करवाना होगा तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
22. सफल दरदाता को निर्धारित प्रारूप में पांच सौ रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना होगा।
23. दरदाता का कार्य विभाग के मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
24. दरप्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म/मालिक सतर्कता जांच से मुक्त होना चाहिये तथा किसी भी विभाग से ब्लेकलिस्टेड नहीं होना चाहिये।
25. दरप्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
26. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायक्षेत्र हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय होगा।

नोट :-

1. मैं/हमने उक्त दरप्रस्ताव की शर्तों व नियमों का भली भांति अध्ययन कर लिया है तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
2. यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है या प्रतिकूल पाई जाती है तो मेरी /हमारी परफोरमेंस सिक्योरिटी जब्त कर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाये।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner